संख्या- 52 /2017/191 /पांच-6-2017-06(जी.)/17

प्रेषक

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

डा0 पद्माकर सिंह,
महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2017

विषयः- विधान सभा निर्वाचन-2017 में सुरक्षा बलों एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने पर कैशलेस ट्रीटमेन्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि विधान सभा निर्वाचन 2017 में सुरक्षाबलों एवं निर्वाचन सम्बन्धी कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने पर एयर एम्बुलेन्स एवं हेलीकॉप्टर के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-130/पांच-1-2017, दिनांक 27.01.2017 द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी में लगाये गये सुरक्षा कर्मियों/अन्य कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेन्ट उपलब्ध कराया जाना है। इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 02.01.2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा निर्वाचन, 2017 में तैनात किये गये सुरक्षा कर्मियों/अन्य कर्मियों को चुनाव के दौरान नजदीकी राजकीय चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये। इस हेतु सम्बन्धित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले के राजकीय चिकित्सालयों एवं यथा आवश्यकता निजी अस्पतालों में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा अपने जिले के जिलाधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी है, से निरन्तर सम्पर्क में रहते हुए समन्वय स्थापित करेंगे। यदि प्रश्नगत कर्मियों को आपात स्थिति में जिले से समीपस्थ मेडिकल कॉलेज में रेफर करने की आवश्कयता पायी जाती है, तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सधिकारी इस हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल समीपस्थ मेडिकल कॉलेज में सिफ्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 27.01.2017 में प्रदेश में आहूत होने वाले 07 चरणों के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले हेलीकॉप्टर एवं एयर एम्बुलेन्स की लोकेशन की स्थिति से सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों को पहले ही अवगत कराया जा चुका है।

2- चुनाव कार्यों में लगे मतदान कर्मियों के कैशलेस ट्रीटमेन्ट पर आने वाले वित्तीय व्ययभार की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सुरक्षा कर्मियों के कैशलेस ट्रीटमेन्ट पर आने वाले वित्तीय व्यय भार की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

3- कृपया तदनुसार शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-146/ई-3/17, दिनांक 03 फरवरी, 2017 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

/

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 52 /2017/ 19/ (1)/पांच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-464/एल0 एण्ड ओ0/2017-ई.पी.एस. दिनांक 02.01.2017 के पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि इस सम्बन्ध में मेडिकल कॉलेजों हेतु समुचित दिशा-निर्देश अपने स्तर से तत्काल निर्गत किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, निर्वाचन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. विभागीय वेब मास्टर।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।